

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर

126234703

पंजीकृत विशेष मूद्रा प्राधिकार

दिनांक 25/09/2018

क्र.पी.ए./सामान्य/राहत आदेश/2038

- 01 वेस्ट बंगाल लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र-5, कोषालय भवन, तीज हजारी कोर्ट काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110124
- 02 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आंध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद-500463
- 03 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) अरुणाचल प्रदेश, ईटा नगर-791111
- 04 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी-781029
- 05 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-॥ बिहार, पटना, बीर चंद पटेल पथ, पटना-800001
- 06 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, 'आडिट भवन', नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
- 07 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट न.-4 एवं 5, सेक्टर 33-वी, चंडीगढ़-160047
- 08 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला-171003
- 09 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एग्जीक्यूशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर-190009
- 10 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, राँची-834002
- 11 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, पो.बॉ.-5329/5369 बैंगलोर-560001
- 12 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी. रोड, तिरुवनथपुरम-695039
- 13 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002
- 14 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन.मैरीन लाईन्स, मुंबई
- 15 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-॥ महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001
- 16 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल-795001
- 17 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलांग-793001
- 18 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, ऐजवल-796001
- 19 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा-797001
- 20 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडीशा, भुवनेश्वर-751001
- 21 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़-160017
- 22 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर-302005
- 23 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराती पी.ओ.-टाडोंग, गंगटोक-737102
- 24 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तामिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई-600018
- 25 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.-कुंजाभवन, अगरतला-799006
- 26 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171
- 27 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तर प्रदेश, 20, सरोजिनी नाईडु मार्ग, इलाहाबाद-211001
- 28 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बंगाल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकाता-700001
- 29 कन्ट्रोलर ऑफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफैर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली
- 30 डाइरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स, पेंशन अनुभाग, पानाजी, गोवा
- 31 डाइरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पांडीचेरी सरकार, पांडीचेरी
- 32 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), तेलंगाना, सैफाबाद, हैदराबाद-500463

विषय: दिनांक:01.01.2016 को अथवा पश्चात सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवकों के पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण की प्रतियों का मुद्रण।

संदर्भ: छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्रमांक:क्रमांक: 438/एफ-2017-04-03685/वि/नि/वार अटल नगर, दिनांक:01.09.2018

संदर्भित निर्देशों, जो की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं, का पालन करने एवं अपने अधिनस्थ सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें।

संलग्न: संदर्भित निर्देश की प्रति।

PH-09-75

लेखा अधिकारी/पी.ए.

दिनांक: /09/2018

क्र.पी.ए./सामान्य/राहत आदेश/

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

O/o Pri Accountant General (A&E)  
AP & Telangana, Hyderabad



525978

लेखा अधिकारी/पी.ए.  
VII CPC Revision  
Post 01.01.2016  
Pensioner - RA 20Lakh  
- Min Pension

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 454/एफ 2017-04-03685/वित्त/नियम/चार  
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 6.11.2017

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त कलेक्टर  
छत्तीसगढ़

विषय:-दिनांक 01.01.2016 को अथवा पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवकों के पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण

राज्य शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03303 / वित्त / नियम/चार, दिनांक 19 मई, 2017 द्वारा शासकीय सेवकों के वेतन का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 से किया गया है।

2. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.01.2016 को अथवा पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवकों की पेंशन/परिवार पेंशन हितलाभों का निम्नानुसार पुनरीक्षण किया जाए :-

क. पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन सांराशिकरण, अवकाश नगदीकरण का निर्धारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में किया जाए।


ख. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अंतर्गत देय मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान की अधिकतम सीमा रूपये 20 लाख की जाती है।

ग. पेंशन एवं परिवार पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि रूपये 7750/- (वृद्धों को प्राप्त अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) की जाती है। पेंशन/परिवार पेंशन की अधिकतम सीमा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त अधिकतम वेतन का क्रमशः 50 एवं 30 प्रतिशत किया जाता है।

3. पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन की राशि का भुगतान पेंशन भुगतानकर्ता द्वारा पूर्व में किये गये भुगतान को समायोजित करते हुए किया जाएगा।

4. उपर्युक्त पैरा 2 (ख) एवं (ग) के लिये सुसंगत नियमों में संशोधन पृथक से किये जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(एस.के. चक्रवर्ती)  
संयुक्त सचिव 6/11/2017